

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... कानारासु ..... बनाम ..... नारणा वगैरा

किस्म मुकदमा..... नं. 111, 128 नं. 30/17 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/12/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विठ्ठलराम सिध्वा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/1/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	
29/01/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गिरो के नोटिस तामिल खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली दिनांक 29/1/18 को प्राप्त किया गया। विप्रार्थी/गिरो का कसूर तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एच. एस. शर्मा ने प्रार्थी के अधिवक्ता के जवाब में प्रार्थी को अपने खालेगी खेत के चारों ओर पन्डे नेषम स्थापित करवाना आवश्यक है इसके इतिहास प्रार्थी को नेषमवनी कोर्टन स्वीच दिनांक 29/1/18 को पेश किया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्त नेषमवनी कोर्टन स्वीच दिनांक 29/1/18 को प्राप्त है। उक्त दिनांक दिनांक 29/1/18 को प्राप्त है। उक्त दिनांक दिनांक 29/1/18 को प्राप्त है। उक्त दिनांक दिनांक 29/1/18 को प्राप्त है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	

तामिल पत्रावली के पत्रावली के तलब हुआ है। दर्ज नम्बर से इस को दाखिल इन्तर् ही।

[Signature]  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/ 19  
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 29/1/18

1. कानाराम पुत्र भोमाराम वगैरा 2  
जाति जाट निवासी रिधूसर,  
खीपर तह. बायतु जिला  
बाड़मेर

1. नारणाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 8 जातियान  
जाट निवासीयान रिधूसर, खीपर तह. बायतु  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 301/17

आदेश

मौजा रिधूसर पटवार हल्का खीपर के खेत खसरा नम्बर 293/163 रकबा 18.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/ 20 to 24  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का खीपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कानाराम पुत्र भोमाराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 8।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

(हेताराम चौधरी) कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 29/1/18

(हेताराम चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु